भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3319
बुधवार, 24 मार्च, 2021/3 चैत्र, 1943 (शक)

कोविड-19 के कारण विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों का छूट जाना

3319. डा. प्रकाश बांडाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास कोविड-19 के दौरान देश में विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के छूट जाने के संबंध में कोई आधिकारिक और प्रमाणिक जानकारी है;

(ख) क्या सरकार के पास बड़ी संख्या में नौकरियां समाप्त होने के कारण बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों के आंकड़े मौजूद हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की उन व्यक्तियो को नौकरी उपलब्ध करवाने/बहाल करवाने की योजना है जिनकी कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के कारण नौकरियों चली गई, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार प्रभावित कंपनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है ताकि महामारी के प्रभाव के कारण छूटी नौकरियों को पुनः बहाल किया जा सके, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी और उससे लगने वाले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। सरकार कोविड-19 से उत्पन्न खतरों एवं चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है।

सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) नियोक्ताओं को नए रोजगार के सृजन हेतु प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है। 09.03.2021 को, लाभ लेने हेतु 16.49 लाख कर्मचारी पंजीकृत हुए थे।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% अंशदान-दोनों का योगदान किया था, जो 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत, 38.82 लाख पात्र कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में 2567.66 करोड़ रु. डाले गए थे।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप, गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने छह राज्यों के लिए 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरवाई) प्रारंभ किया है। जीकेआरवाई के तहत, छह राज्यों में 50,78,68,671 मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए थे।

सरकार ने वापस लौट रहे प्रवासी कामगारों सहित और अधिक कार्य आवश्यकता के समाधान के लिए के लिए कुल मिलाकर लगभग 300 करोड़ मानवदिवस सृजित करने के लिए एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत 40,000/- करोड़ रु. अतिरिक्त उद्दिष्ट किए हैं। 13.62 परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए एमजीएनआरईजीए मजदूरी को 182 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपए किया गया है।

पीएम-स्वनिधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए लगभग 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाया है।

आरबीआई ने अन्य बातों के साथ-साथ, बाजार व्यापार एवं निवेश को प्रेरित करने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए भी विभिन्न उपायों की शुरूआत की है।

*****